संख्या-2798/X-2-2008-12(9)/2006

प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 06 अगस्त, 2008

विषयः-अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की **"वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना" योजना हेतु वर्ष 2008-09 में वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-नि.1604/35-1 दिनांक 30 मई, 2008 तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक-ख-3183/23-14 दिनांक 30 जून, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की "वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना" योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में रू0 56,00,000/- **(रू0 छप्पन लाख मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय तथा आहरण और व्यय तभी किया जायेगा जब विभाग योजना की अवधि, लागत तथा योजना के वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लेगें. कि योजना पर व्यय करना वित्तीय व योजना के दृष्टिकोण से हितकारी है।

2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008, तथा वित्त विभाग के पत्र सं0-326/XXVII(1)/2008, दिनांक 23 अप्रैल, 2008 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. बी.एम.-13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (कलेक्षा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.

क्रमशः.....2

4. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
6. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800- अन्य व्यय 34-"वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना" योजना की निम्नलिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
08-कार्यालय व्यय	150
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	150
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि	300
18-प्रकाशन	400
42-अन्य व्यय	900
44-प्रशिक्षण व्यय	3700
योग	5600

(रू0 छप्पन लाख मात्र)

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-104(P)/XXVII(4)/2008, दिनांक 30 जुलाई, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-2798(1)/X-2-2008, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, नैनीताल.
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.

क्रमशः.....3

7. निजी सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव